रजि0न0एल0डब्लू/एल0पी0890
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार व्दारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4 खण्ड (ख)

परिनियत आदेश

लखनऊ, शुक्रवार 2 जुलाई, 2004

अषाढ़ 11, 1926 शक सम्वत

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-5

सं0 क0नि0-5-3338/11-2004-500(7)-2001

लखनऊ, 2 जुलाई, 2004

अधिसूचना

प0आ0 232

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल 1 अप्रैल 2004 से प्रारम्भ होने वाली 31 मार्च 2005 तक की अवधि के लिए नजूल भूमि में पट्टाधृत अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए नजूल भूमि के पट्टेदार के पक्ष में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व्दारा प्राधिकृत व्यक्ति व्दारा निष्पादित लिखित पर उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-बी के अनुच्छेद 23 के खण्ड (क) के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि जो पूर्ण स्वामित्व लिखत में दी गयी प्रतिफल की धनराशि से उक्त नजूलभूमि के बाजार मूल्य तक अधिक हो पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की सीमा तक कम करते है ।

परन्तु यह कि अधिसूचना नजूल भूमि के नीलाम या निविदा आमंत्रण के व्दारा स्वामित्व अधिकार स्वीकृत करने से सम्बन्धित मामलों में लागू नही होगी ।

स्पष्टीकरणः- इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए शब्द प्रतिफल का तात्पर्य ऐसे पूर्ण स्वामित्व प्रभार और उस पर ब्याज यदि कोई हो जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार व्दारा प्राधिकृत व्यक्ति व्दारा पट्टाधृत अधिकारों को पूर्ण स्वामित्च अधिकारों मे परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिए लिया गया हो से है ।

आज्ञा से,
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव ।

Thegovernor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.K.N. 5-3338/11-2004-500(32)-2003 dated July 2, 2004 for general information:

no.K.N5-5-3338/11-2004-500(32)-2003
dated Lucknow July 2, 2004

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh the Governor is pleased to reduce for the period commencing on April 1,2004 to March 31, 2005 the stamp duty chareable under clause (a) of Article 23 of Schedule 1-B of the said Act on the instrument executed by the person authorized by the state Government of Uttar Pradesh in favour of the lessee of Nazul land for the purpose of converting leasehold rights into freehold rights in the said land to the extent of the of Satamp Duty Chargable on the amound that exceeds the amount of the conderation set foth in such freehold instrument upto the market value of the said Nazul land.

Provided that this notification shall not apply to matters relating to granting freehold right in Nazul land by way of auction or invition of tender.

Explanation: for the purpose of this notification the word consideration means the freehold charges and the interested thereon if any taken by the person authorized by the state Government of the Uttar Pradesh for the purpose of conerting leasehold rights into freehold rights.

By order
Rita Sinha

PramukhSachiv